अपील सूचना अधिकार संख्या 76/2021 (GCMS 2021/117)(आरटीआई नं. 212540138095601) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ 314700) <u>बनाम</u> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

<u>18.01.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 16.04.2021 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.04.2021 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रथम अपील संख्या 79/2020 राधेश्याम गोयल बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर में संलग्न प्रथम अपील संख्या 42/16 निर्णय दिनांक 10.12.2016 व प्रथम अपील संख्या 73/15 निर्णय दिनांक 12.12.2015 की निर्णय की नकल प्रमाणित प्रति।
2. पत्रांक 1754 दिनांक 27.06.20.. आयुक्त नगर परिषद, श्रीगंगानगर के पत्रांक की प्रति जो इस अपील के साथ

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:27 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 568 दिनांक 14.06.2021 से प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किया है। प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार ने अपने पत्रांक रिकार्ड शाखा/सूकाअ/2021/160 दिनांक 12.07.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2021 में चाही सूचना के संबध में सूचना निम्नानुसार है :
>
> **बिन्दु संख्या–1** में अंकित अपील 79/2020 का वाचक शाखा के अभिलेख से अवलोकन किया गया तो पाया कि यह अपील अपीलार्थी की नहीं है एवं प्रथम अपील संख्या 42/2016 के निर्णय दिनांक 19.12.2016 के कुल पृष्ठ 02 है तथा अपील संख्या 83/2015 के निर्णय दिनांक 12.12.2015 के कुल पृष्ठ 02 है। उक्त सूचना आप कार्यालय हाजा में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित हो कर निर्धारित राजकीय शुल्क जमा करवाकर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते है।
>
> **बिन्दु संख्या –2** में आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी
> जिला अभिलेखागार
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जां चुका है और [illegible] अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सू[illegible] लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है [illegible] **<u>निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध</u>**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:27 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर